चिमाराम बनाम हरीराम
2019 / 00277
निर्णय दिनांकः–27.05.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2019 / 00277 दर्ज तिथिः–01.07.2015

1. चिमाराम पुत्र जेठाराम
जाति जाट निवासी सुनारों की ढाणी, पटवार हल्का दूधू, तहसील धोरीमन्ना
..................वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र जेठाराम
जाति जाट निवासी,सुनारों की ढाणी, पटवार हल्का दूधू, तहसील धोरीमन्ना
..................असल प्रतिवादीगण

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री रामजीवण विश्नोई
प्रतिवादीः– श्री रिड़मलराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–27.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 517 / 12.1082 है0, 665 / 3.4155 है0 वाके ग्राम एकलव्यनगर, तथा खसरा संख्या 413 / 0.1133 है0, 414 / 0.0809 है0, 531 / 8. 0047 है0 वाके ग्राम श्री देवनगर ,पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 हाजा न्यायालय में असालतन—वकालतन उपस्थित हुए। पत्रावली में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के आदेशानुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार धोरीमाना से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने की पालना में न्यायालय हाजा के पत्रांक रीडर/2019/832 दिनांक 03.12.2025 के तहत माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय व न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार धोरीमना को प्रेषित कर पुनः विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/336 दिनांक 11.02.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 मय वकुलाय एक प्रार्थना पत्र वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर आपति प्रस्तुत की जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी तथा विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि विभाजन प्रस्ताव बनाते समय तहसीलदार धोरीमना द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 पूर्ण पालना किये जाने से प्रतिवादी वकील की आपति को खारिज किया जाना उचित समझते है। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी पक्ष द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/336 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 09.12.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका	1. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ./202[illegible]/नोटिस/257 दिनांक 03.12.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 09.12.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2069–2072 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 517/12.1082 है0, 665/3.4155 है0 वाके ग्राम एकलव्यनगर, तथा खसरा संख्या 413/0.1133 है0, 414/0.0809 है0, 531/8.0047 है0 वाके ग्रम श्री देवानगर ,पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारातकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल राह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 517/12.1082 है0, 665/3.4155 है0 वाके ग्राम एकलव्यनगर, तथा खसरा संख्या 413/0.1133 है0, 414/0.0809 है0, 531/8.0047 है0 वाके ग्रम श्री देवानगर ,पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
चिमाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट	पूर्ण	531 श्री देवानगर	0.1300	गै.मु.रा.	काला
		531 श्री देवानगर	3.8723	बा.सो.	केसरिया
		517 एकलव्य नगर	7.6518	बा.दो.	केसरिया
		665 एकलव्य नगर	0.1100	बा.दो.	केसरिया
		3	11.7641	बा.दो.	केसरिया
हरीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट	पूर्ण	531 श्री देवानगर	4.0023	बा.सो.	हरा
		517 एकलव्य नगर	4.4564	बा.दो.	
		665 एकलव्य नगर	3.3055	बा.दो.	
		3	11.7642		
चिमाराम पुत्र जेठाराम हरीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट	पूर्ण	413	0.1133	गै.मु.	बिना रंग
		414	0.0809	गै.मु.	
		2	0.1942	गै.मु.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

चिमाराम बनाम हरीराम
2019/00277
निर्णय दिनांकः—27.05.2025

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

27/5/2025
(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:54 IST
Reason: SelfAttested

चिमाराम बनाम हरीराम
2019 / 00277
निर्णय दिनांकः—27.05.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2019 / 00277 दर्ज तिथिः—01.07.2015

1. चिमाराम पुत्र जेठाराम
जाति जाट निवासी सुनारों की ढाणी, पटवार हल्का दूधू, तहसील धोरीमन्ना
..................वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र जेठाराम
जाति जाट निवासी,सुनारों की ढाणी, पटवार हल्का दूधू, तहसील धोरीमन्ना
..................असल प्रतिवादीगण

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री रामजीवण विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री रिड़मलराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 517 / 12.1082 है0, 665 / 3.4155 है0 वाके ग्राम एकलव्यनगर, तथा खसरा संख्या 413 / 0.1133 है0, 414 / 0.0809 है0, 531 / 8.0047 है0 वाके ग्प्रम श्री देवानगर ,पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय न[illegible] नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री कि[illegible] जाता है [illegible] के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग [illegible] प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

चिमाराम बनाम हरीराम
2019/00277
निर्णय दिनांक:—27.05.2025

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
चिमाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट	पूर्ण	531 श्री देवानगर 531 श्री देवानगर 517 एकलव्य नगर 665 एकलव्य नगर	0.1300 3.8723 7.6518 0.1100	गै.मु.रा. बा.सो. बा.दो. बा.दो. बा.दो.	काला केसरिया केसरिया केसरिया केसरिया
		3	11.7641		
हरीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट	पूर्ण	531 श्री देवानगर 517 एकलव्य नगर 665 एकलव्य नगर	4.0023 4.4564 3.3055	बा.सो. बा.दो. बा.दो.	हरा
		3	11.7642		
चिमाराम पुत्र जेठाराम हरीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट	पूर्ण	413 414	0.1133 0.0809	गै.मु. गै.मु.	बिना रंग
		2	0.1942	गै.मु.	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

(SDO) धोरीमन्ना • कलक्टर • जिला बाड़मेर • सत्यमेव जयते

यह डिक्री आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

27/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:54 IST
Reason: SelfAttested